12624

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

गेट नं0 ४, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग
पटेल चौक, नई दिल्ली – ११० ००१
Gate No. 4, 1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg
Patel Chowk, New Delhi - 110 001

Dated..........................

CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT BY THE ORDER DATED 20TH DAY OF JANUARY 2014 PASSED BY THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS, NEW DELHI IN CASE NO. 1418 OF 2013 (DE PAUL SCHOOL, MAIDANI, REWA, MADHYA PRADESH, VS. COMMISSIONER, BACKWARD CLASSES & MINORITY WELFARE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH), DE PAUL SCHOOL RUN BY SAN THOME VINCENTIAN SOCIETY HAS BEEN DECLARED AS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER SECTION 2(g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 20TH DAY OF JANUARY 2014.

National Commission For Minority Educational Institutions * Delhi *

(RITA CHATTERJEE)
SECRETARY

PRINCIPAL
De Paul School
Maidani, Rewa (M.P.)

MANAGER
De Paul School
Maidani, Rewa (M.P.)

BY REGISTERED POST

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

गेट नं० ४, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५ संसद मार्ग
पटेल चौक, नई दिल्ली - ११० ००१

Gate No. 4, 1st Floor, Jeevan Tara Building, 5 Sansad Marg
Patel Chowk, New Delhi - 110 001

F. NO. 1418 OF 2013 / 12624

Dated...........................

7th February, 2014

To

Fr. Michael Kareekunnel,
Secretary,
Santhome Vincentian Society,
Vincentian Ashram,
Padre,
Rewa,
Madhya Pradesh – 486 001

Sir,

Please refer to your letter dated 26.04.2013, forwarding therewith application in the prescribed format for obtaining the certification of minority status for your school.

The Commission vide its Order dated the 20.01.2014 has decided to issue the Minority Status Certificate to De Paul School, Maidani, Rewa, Madhya Pradesh. Please find enclosed herewith the Minority Status Certificate dated the January 20, 2014 in original, in respect of the said school.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Enc: As above

(Rita Chatterjee)
Secretary

PRINCIPAL
De Paul School
Maidani, Rewa (M.P.)

MANAGER
De Paul School
Maidani, Rewa (M.P.)

प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक: 1418

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (रीवा), मध्यप्रदेश

स्कूल: PAUL SCHOOL

मान्यता का प्रकार - **नवीनीकरण मान्यता**

मान्यता दिनांक - 09/05/2020

सत्र - 2020-21

प्रति,

प्रबंधक (PAUL SCHOOL)

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 17/02/2020 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यव्हार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - PAUL SCHOOL डाइस कोड - 23140121506 स्कूल क्रमांक - PS 1418 को कक्षा Nursery से 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2020 से 31/03/2023 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नही होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबंद्दता की कोई बाध्यता किसी भी रूप मे विवक्षित नही होगी
- स्कूल निःशिल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात मे निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे ।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा ।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस क संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नही अपनाएगा ।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नही करेगा -
  - (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर ।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - किसी स्कूल मे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
  - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उतीण करने कि आवश्यकता नहीं होगी ;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
  - अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते है, उन्हे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी
  - शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के आधीन विनीरदृष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा
  - प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों मे शिक्षक स्वयं भाग नही लेंगे/लेंगी
  - स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा

Signature valid

Digitally signed by RAM NARESH PATEL
Date: 2020.05.09 13:24:58 IST
Reason: Digitally Signed
Location: NIC

- अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा
- स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिदृष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे | अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

PRINCIPAL
De Paul School
Maidani, Rewa (M.P.)

MANAGER
De Paul School
Maidani, Rewa (M.P.)